शुक्रवार

खबर के पीछे की खबर...

वर्ष 4 अंक 40 ■ पृष्ठः 12 ■ 30 अगस्त, 5 सितम्बर 2019 ■ नयी दिल्ली ■ ₹ 5

यारो का यार : अरुण जेटली

रुपया गिर रहा है, निवेशक भाग रहे हैं!

गिरीश मालवीय

नई दिल्ली। रुपए की ऐतिहासिक गिरावट के साथ ही विदेशी निवेशक तेजी से अपनी रकम भारतीय पूंजी बाजार से निकाल रहे हैं। यह गंभीर संकेत है अर्थव्यवस्था के लिए। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने इकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार को रेकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। कोई बताए कि आज से पहले कौन से वर्ष इतनी बड़ी रकम सरकार को देने की अनुशंसा की गयी है ? यह रकम उस वक्त दी जा रही है जब रुपया एशिया की सबसे कमज़ोर मुद्रा बनता जा रहा है। उसकी कीमत कम होती जा रही है और विदेशी निवेशक तेजी से अपनी रकम भारतीय पूंजी बाजार से निकाल रहे हैं।

यह केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता पर एक तरह का हमला है। कुछ महीने पहले रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने ए डी श्रॉफ मेमोरियल लेक्चर के दौरान रिजर्व बैंक की स्वायतत्ता बरकरार रखने संबंधी बयान दिया था। विरल आचार्य ने इस दौरान कहा था कि यदि सरकार केन्द्रीय बैंक की स्वायतत्ता का सम्मान नहीं करेगी, तो यह भविष्य में वित्तीय बाजार की अनियमितता और तेज आर्थिक विकास के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। विरल आचार्य ने अर्जेंटीना का उदाहरण दिया कि किस तरह से वहां की सरकार ने सेंट्रल बैंक के काम में दखल दिया जिससे अजेंटीना की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा था कि जो सरकारें केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करती

❖ यदि सरकार केन्द्रीय बैंक की स्वायतता का सम्मान नहीं करेगी, तो यह भविष्य में वित्तीय बाजार की अनियमितता और तेज आर्थिक विकास के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।

हैं वहां के बाज़ार तत्काल या बाद में भारी संकट में फंस जाते हैं। अर्थव्यवस्था सुलगने लगती है और अहम संस्थाओं की भूमिका खोखली हो जाती है। अर्जेंटीना में 2010 में ठीक ऐसा ही हुआ था।

आरबीआई के कोष से रकम का हस्तांतरण पिछले दिनों तीखी चर्चा का विषय रहा है। आरबीआई के पिछले गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच विवाद की जड़ यही मुद्दा बना और जिसके कारण उर्जित पटेल ने इस्तीफा तक दे दिया और यस मैन शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया।पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और उसे इस बात की पड़ताल करने का काम सौंपा था कि कितनी रकम आरक्षित भंडार में रखनी चाहिए और कितनी रकम सरकार को सौंप देनी चाहिए यह रकम इसी कमेटी की अनुशंसा से दी गई है लेकिन अर्थनीति से जुड़े लोग इसके पक्ष में नहीं थे। कुछ दिनों पूर्व रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने भी केंद्रीय बैंक के अधिशेष भंडार में हिस्सा लेने के सरकार के प्रयासों पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा था कि यदि दुनिया में कहीं भी एक सरकार उसके केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट को हड़पना चाहती है तो यह ठीक बात नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार इस खजाने को लेकर काफी व्यग्र है। दरअसल रिजर्व बैंक के जोखिम अन्य केंद्रीय बैंकों से काफी अलग हैं। सुब्बाराव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों के बैलेंसशीट पर गौर करते हैं। संकट के समय में ऋण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष भी इसी तरीके को अपनाती है। यानी यह एक आपात आरक्षित फंड है

सरकार इस फिस्कल ईयर में रिजर्व बैंक से 90,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड लेना चाहती थी। पिछले फिस्कल ईयर के मुकाबले यह 32 फीसदी ज्यादा है। उस वक्त रिजर्व बैंक ने 68,000 करोड़ रुपये दिए थे। यानी कि पहले से ही सरकार ज्यादा डिविडेंड लेने की कोशिश कर रही थी वह लाभांश में ज्यादा हिस्सेदारी मांग कर रहीं थीं, लेकिन अब वह और भी ज्यादा रकम पर हक जता रही हैं इसके लिए वह आपात आरक्षित फंड को तोड़ना चाहती हैं।आईएमएफ के कम्युनिकेशन डायरेक्टर गेरी राइस ने भी कहा था है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय बैंकों के काम में किसी तरह का दखल न देना सबसे आदर्श स्थिति है।

इस भाषण के बाद विरल आचार्य को भी उर्जित पटेल की ही तरह अपने पद से हटना पड़ा। उसके पहले नचिकेता मोर जो आरबीआई बोर्ड के सदस्य थे उन्हें हटाकर गुरुमूर्ति जो संघी विचारधारा के समर्थक थे उन्हें बोर्ड का सदस्य बनाया गया। नचिकेत मोर सरकार के आरबीआई में दखल के सख्त आलोचक थे। यानी एक एक करके रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता के समर्थकों को बाहर किया गया और अपने लोगो की नियुक्ति की गयी जिसका रिजल्ट यह घोषणा है।कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक अभूतपूर्व स्थिति है जब रिजर्व बैंक को भी राजा का बाजा बजाने के लिए मजबूर कर दिया गया है।

जैविक खेती पर भारी पड़ी उर्वरक लाबी

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । सरकार ने जीरो बजट खेती पर जोर दिया था पर इस अभियान की हवा उर्वरक लाबी ने निकाल दी है । केंद्र सरकार के राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने वेस्ट डी कम्पोजर (West D Composer) का उत्पादन कम कर दिया है। जैविक खेती को लेकर काम करने वाले एक्टिविस्ट संजय शर्मा का दावा है कि वेस्ट डी कम्पोजर का उत्पादन केंद्र सरकार ने पूरी तरह बंद करने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि उर्वरक और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों को इस जैविक खाद से काफी नुकसान होने की आशंका है । अभी तो इसका इस्तेमाल बीस पच्चीस लाख किसान ही कर रहे है। पर इसका इस्तेमाल जैसे ही दस बीस करोड़ किसान करने लगेंगे तो उर्वरक और कीटनाशक उत्पादों का बाजार काफी प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से वेस्ट डी कम्पोजर का उत्पादन प्रभावित किया जा रहा है । राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के सहायक निदेशक रहे डा जगत सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि वेस्ट डी कम्पोजर का उत्पादन कुछ वजह से नहीं हो रहा है। यह पूछने पर कि यह कब तक होगा ? डा जगत सिंह ने कहा,अब तो मेरा तबादला पटना हो चुका है इस बारे में क्या बता सकता हूं। डा. जगत सिंह इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बचे। पर संस्थान के सूत्र बता रहे हैं कि वेस्ट डी कम्पोजर को लेकर दिक्कत आ चुकी है। पहले यह समझे कि यह वेस्ट डी कम्पोजर है क्या? दरअसल राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (NCOF) गाजियाबाद में भारत सरकार का ही एक रिसर्च सेंटर है जहां जीरो बजट खेती और जैविक खेती के लिए रिसर्च चल रही थी।इसी केंद्र के दो वैज्ञानिकों डॉ। कृष्णचंद्र और जगत सिंह ने गाय के गोबर से कुछ जीवाणु निकाल कर वेस्ट डी कम्पोजर नामका एक कल्चर तैयार किया था ।तीन साल की रिसर्च के बाद 2015 में। इसी टीम ने गांव गांव जाकर इस वेस्ट डी कम्पोजर का प्रचार किया और इसकी एक शीशी का दाम रखा गया मात्र 20 रुपए। ये 20 रूपये की शीशी भी आजीवन चलती है। यह किसी भी कैमिकल खाद यूरिया डीएपी जैसों से सबका विकल्प है।

देश के करीब 20 लाख किसानों को इसका फायदा मिल चुका है।इस एक शीशी से कोई भी किसान दो सौ लीटर का वह घोल बना सकता है जिसे जैविक कचरे पर डालने से एक महीने में वह खाद में तब्दील हो जाता है।

मी लार्ड, यह तो बताएं हम पढ़ें क्या!

अरुण माहेश्वरी

नई दिल्ली। मुंबई हाईकोर्ट के एक जज सारंग कोतवाल ने एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ता वेरोन गोनसाल्वे से इस बात की सफ़ाई मांगी है कि उनके घर पर तालस्ताय के विश्व क्लासिक 'वार एंड पीस' की प्रति क्यों पड़ी हुई थी ।इस मुद्दे पर देशभर में बहस शुरू हो गई है।दूसरी तरफ रिटायर होने से दो दिन पहले अनायास ही, बिना किसी आधार के, पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में घूसख़ोरी और रुपयों की हेरा-फेरी का प्रमुख अपराधी घोषित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुनील गौड़ ने कल खुद सरकार से एक अपीलेट ट्राइबुनल के अध्यक्ष का पद लिया है। चिदंबरम मामले में सरकार के रुख को देख कर तो लगता है कि वह उन्हें अंत में 'राष्ट्र के अस्तित्व के लिये ख़तरनाक' कह कर भी जेल में बंद रखेगी, जैसा कि देश के कई प्रमुख बुद्धिजीवियों को रखे हुए है । थोथी प्रक्रियाओं की जंजीरों से बंधा न्याय अपने सत्व को गंवा कर कोरे कुतर्क की श्रेणी में पहुंच जाता है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में हमेशा की तरह क़ानून अपनी अंधता का प्रदर्शन करेगा ।

मुंबई हाईकोर्ट के एक जज सारंग कोतवाल ने एलगार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ता वेरोन गोनसाल्वे से इस बात की सफ़ाई मांगी है कि उनके घर पर तालस्ताय के विश्व क्लासिक 'वार एंड पीस' की प्रति क्यों पड़ी हुई थी ।सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्र ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की तरह के नागरिक के मूलभूत संवैधानिक अधिकार को भी शर्त-सापेक्ष बताया है। वे अमित शाह के बेटे जय शाह के द्वारा 'द वायर' पर किये गये मुक़दमे के एक प्रसंग में 'द वायर' की याचिका को स्वीकारते हुए भी 'द वायर' को धमका कर प्रकारांतर से अमित शाह को आश्वस्त रहने का संकेत भेज रहे थे ।

और, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की अनुमति देते हुए भी उनकी नागरिक स्वतंत्रता को अनुलंघनीय मानने से इंकार किया और उस पर भी कुछ शर्तें लाद दी है ।

एक दिन में भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तरों से पतन के इतने लक्षणों का सामने आना किसी भी न्याय-प्रेमी भारतवासी के कान खड़े कर देने के लिये काफी है। चंद रोज़ पहले कोलकाता की अदालत के एक मजिस्ट्रेट ने शशि थरूर की गिरफ़्तारी का वारंट इसलिये जारी कर दिया क्योंकि उन्होंने खुद उपस्थित हो कर अपनी उस बात पर सफ़ाई नहीं दी कि वे भारत को 'हिंदू पाकिस्तान' नहीं देखना चाहते हैं !

बहरहाल, यह एक वाजिब सवाल हो सकता है कि हमारे लोकतंत्र के स्तंभ माने जाने वाले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अथवा प्रेस का ही अपना खुद का सत्य क्या होता है? क्या हमारे लोकतंत्र की दुनिया की सच्चाई के बाहर भी इनके जगत का अपना-अपना कोई स्वतंत्र, स्वाधीन सत्य भी होता है ? जब भी हम किसी चीज की विशिष्टता की चर्चा करते हैं, वह विशिष्टता आखिरकार इस दुनिया के बाहर की कोई चीज नहीं होती । वह इस दुनिया के तत्वों से ही निर्मित होती है । वह अन्य चीजों से कितनी ही अलग या पृथक क्यों न हो, उनमें

हमेशा एक प्रकार की सार्वलौकिकता का तत्व हमेशा मौजूद रहता है । उनकी विशिष्टता या पृथकता कभी भी सिर्फ अपने बल पर कायम नहीं रह सकती है । इसीलिये कोई भी अपवाद-स्वरूप विशिष्टता उतनी भी स्वयंभू नहीं है कि उसे बाकी दुनिया से अलग करके देखा-समझा जा सके ।

यही वजह है कि जब कोई समग्र रूप से हमारे लोकतंत्र के सार्वलौकिक सत्य से काट कर उसके किसी भी अंग के अपने जगत के सत्य की पवित्रता पर ज्यादा बल देता है तो कोरी प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है । इनकी अपवाद-स्वरूपता में भी हमेशा लोकतंत्र के सत्य की सार्वलौकिकता ही किसी न किसी रूप में व्यक्त होती है । इसीलिये जब एक ओर तो लोकतंत्र मात्र का ही दम घोट देने की राजनीति चल रही हो और दूसरी ओर उसके संघटक तत्वों के अपने जगत की स्वतंत्रता और पवित्रता का जाप किया जाता हो – यह मिथ्याचार नहीं तो और क्या है! जनचौक डाट काम

अपने ही लोगों को बेवतन करने की साजिश

तीस्ता सीतलवाड़

गुवाहाटी. देश का मुख्य हिस्सा फिलहाल इस प्रताड़ना और यंत्रणा से बचा हुआ है. इस वक्त यह दर्द, प्रताड़ना, यंत्रणा असम के हिस्से है. प्रशासन यहां हर शख्स से उसके भारतीय नागरिक होने के सबूत मांग रहा है. और इसे साबित करने के लिए लोग अथाह दर्द और त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं.

देश के सुदूर हिस्से असम में हमारे सबसे गरीब लोगअपनी भारतीयता साबित करने की जी-तोड़ कोशिश में लगे हैं. और एक अजीब अराजक और एक खास मंसूबे से काम करने वाली नौकरशाही ने उनका जीना दूभर कर रखा है.यह नौकरशाही अब इनका भाग्यविधाता बन गई है.

असम में CJP की टीम ने बेहद बारीकी से जो सूची तैयार की है, उसके मुताबिक 18 जुलाई, 2019 तक नागरिकता साबित करने की जद्दोजहद में 58 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से सभी श्रमिक वर्ग के कृषक या शहरी पृष्ठभूमि के थे. इनमें से 28 हिंदू, 27 मुस्लिम, एक बोड़ो, एक गोरखा और चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदाय से जुड़े थे. 54 लोगों की मौतों ने भारत की मुख्य धरती पर रहने वालों को भले ही न झकझोरा हो लेकिन जब जुलाई में प्रॉविजनल (अस्थायी) नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स से 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए तब लोगों को इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा होगा.

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स यानी NRC जटिल प्रक्रिया है. सिर्फ असम से जुड़ी यह प्रक्रिया अपने आप में अनोखी है. सहमति से शुरू की गई यह प्रक्रिया असम समझौते से पहले से ही जारी है, जब राज्य की राजनीति में आक्रामकता, टकराव और हिंसा का दौर था. और यह दौर बाहरियों के प्रति असम के लोगों के वास्तविक या काल्पनिक डर का नतीजा था. बहरहाल नागिरकता का यह पूरा विमर्श तोड़-मरोड़ दिया गया है.

यह मुद्दा अब किसी को 'घुसपैठिया' या 'विदेशी' साबित करने के तक सीमित हो गया है.अगर 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' एनआरसी की प्रक्रिया के गिर्द बनी सहमति के बारे में समझना है तो उन विचित्र औरसंकीर्ण पूर्व-शर्तों पर गौर करना जरूरी होगा, जिनके आधार पर इसे खड़ा किया गया. फिलहाल राज्य के अंदर लोगों से जुड़े इस व्यापक विमर्श में 'वास्तविक भारतीय नागरिकों' जैसे जुमले उछाले जा रहे हैं.

वैधानिक रूप से आज असम में एनआरसी को सिटिजनशिप एक्ट 1955 (जो हर भारतीय पर लागू होता है लेकिन असम को लेकर इसमें खास संशोधन है) और सिटिजनशिप संशोधन कानून, 2003 के विशेष प्रावधानों के तहत अंतिम रूप दिया जा रहा है.

सवालों के घेरे में NRC तैयार करने के मौजूदा तौर- तरीके

एनआरसी तैयार करने के लिए जो तौर-तरीके अपनाए गए हैं. उनमें नागरिकता के सवाल से जुड़े सभी पक्षों की सहमति है. इन पक्षों में असम आंदोलन के समर्थक, विभिन्न धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक संगठन और असम के सभी राजनीतिक दल शामिल हैं. वास्तव में यह बड़ी जद्दोजहद के बाद पैदा की गई सहमति है.असम सरकार की एक कैबिनेट उप समिति की ओर से इसे मंजूरी के बाद इसे NRC अथॉरिटी को भेज दिया गया था. NRC अथॉरिटी की यह मंजूरी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेज दी गई थी जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है.

क्या एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया सही है? इसके लिए हमें इन तौर-तरीकों को समझना होगा. काफी विचार-विमर्श के बाद 15 तरह के दस्तावेज 'लिगेसी डॉक्यूमेंट' (जो विरासत से हासिल दस्तावेज हैं) और 10 तरह के दस्तावेजों को 'लिंकेज डॉक्यूमेंटस' केतौर पर मान्यता दी गई जिनके आधार पर नागरिकता के दावे की पड़ताल की जानी थी. यानी अगर कोई नागरिक खुद को वास्तविक नागरिक साबित करवाने के लिए आवेदन देता है तो इन दस्तावेजों की जांच की जा सकती है. अपडेटेड NRC में नाम जोड़ने के लिए आवेदनों की जांच के वक्त इन दस्तावेजों की जांच की जा सकती है. नियम के मुताबिक इनकी जांच जरूरी है. इन सभी दस्तावेजों को पहले RGI और फिर बाद में देश के सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी. इनमें से किसी एक या सारे दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता तय करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था लेकिन बाद में इस प्रक्रिया में काफी गड़बड़ियां और चालाकियां घुसेड़ दी गईं. 2016 बाद अलग-अलग प्राधिकरणों की बुरी नीयत की वजह से शुरू में तय किए गए तरीकों के तहत जिन दस्तावेजों की पुष्टि की जानी थी, उनमें से कई घटा दिए गए. जब कोर्ट के ध्यान में यह बात लाई गई तो इनमें से कुछ गड़बड़ियों को ठीक किया गया.लेकिन जमीनी स्तर पर कोर्ट की नामंजूरी के बावजूद NRC से जुड़े प्राधिकरणों ने कुछ लिगेसी और लिंकेज डॉक्यूमेंट को मंजूर करना कम कर दिया है. यह सिर्फ आम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है. ये काम राजनीतिक आकाओं की ओर तय 'लक्ष्यों' को पूरा करने के लिए हो रहा है.

NRC अथॉरिटी ने सिटिजनशिप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रिफ्यूजी इनमेट सर्टिफिकेट जैसे सबूतों को स्वीकार करना कम कर दिया है. इसके अलावा बंगालऔर त्रिपुरा सरकार की ओर से जारी वोटर लिस्ट समेत सभी सरकारी दस्तावेजों की स्वीकृति भी रद्द हो चुकी है.नागालैंड सरकार के प्राधिकरणों की ओर से जारी सारे जन्म प्रमाण पत्र भी नामंजूर किए जा चुके हैं. इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने के लिए कोई कदम उठाए बिना ही इन्हें रद्द कर दिया गया है.

नागरिकता प्रमाणित करने के तौर-तरीके में अच्छी तरह सोच-समझ कर एक मजबूत प्रावधान शामिल किया गया है. इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जांच टीम (DMIT) के दखल की व्यवस्था है. इस प्रावधान के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता पर सवाल उठाए जाने पर शिकायत का अधिकार है. अगर कोई वास्तविक भारतीय नागरिक सही दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहता है तो DMIT इसकी स्वतंत्र जांच कर सकता है. DMIT को स्थानीय लोगों से मिलने और सही तरीके से जांच करने के बाद अनाथों, वंचितों और 'लिंकेज' डॉक्यूमेंट न रखने वाले लोगों को नागरिकता सूची में शामिल करने की मंजूरी देने का अधिकार है. लेकिन नागरिकता तय करने की मौजूदा प्रक्रिया में इसे पूरे प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया गया है.

और आखिर में नागरिकता तय करने के लिए एक और मजबूत प्रावधान की व्यवस्था है. लिंकेज डॉक्यूमेंट पर सवाल उठते (या नागरिकता प्रमाणित करने के सारे साधन फेल हो जाते हैं) हैं तो इसमें डीएनए टेस्ट की व्यवस्था है. इस आधार पर हस्र्ट में नाम शामिल होता है. डीएनए टेस्ट ऐसा प्रावधान है, जिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते. लेकिन RGI ने इकतरफा फैसला करते हुए इस प्रावधान को रद्द कर दिया. और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई.

दर्द और परेशानियों का लंबा सिलसिला

इसके अलावा भी कई और खामियां हैं. नागरिकता को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लिगेसी डॉक्यूमेंट और उनका इस्तेमाल करने वालों के नामों, उपनाम, उम्र के अंतर को लेकर बड़ी संख्या में आवेदनों को रद्द कर दिया गया. जबकि हस्र्ट तैयार करने के लिए तय तौर-तरीकों में यह साफ किया गया है कि नाम, उपनाम, उम्र के जिक्र में मामूली अंतर से नागरिकता सूची में नाम शामिल करने के आवेदन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

असम के लोगों का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो राज्य की ओर से पैदा की गई त्रासदी से अछूता हो. चाहे बांग्ला बोलने वाले हिंदू हों या मुस्लिम या फिर गोरखा हों या फिर हिंदी बोलने वाले उत्तर या पश्चिम भारतीय. सब पर इस प्रक्रिया ने जुल्म ढाए हैं. असम के लोग जो दर्द और यंत्रणा झेल रहे हैं उनको बयां करना मुश्किल है. घरों से दूर बने जगहों पर लोग सुनवाई के लिए लंबा सफर तय कर रहे हैं. आवेदनों के दस्तावेजों को भरने में काफी पैसा खर्च हो रहा है. और तो और उन्हें कई-कई बार 'लिगेसी पर्सन्स' (वे लोग जिनकी विरासत के आधार पर नागरिकता संबंधित आवेदक की नागरिकता सिद्ध की जा सके) के साथ इन केंद्रों पर बुलाया जा रहा है.

कई लोगों को तो कुछ मामलों में इन केंद्रों पर सात से चौदह बार जाना पड़ा और वह भी वंश वृक्ष से जुड़े परिवार के सभी लोगों के साथ. यानी 40 से 80 लोगों का हुजूम अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक यात्रा करता रहा. दिल्ली में एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ऊपरी असम के लखीमपुर तक यानी 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरे परिवार के साथ तीन बार करनी पड़ी.

फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की फांस

जो लोग गलत तरीके से या किसी और तरीके फाइनल हस्र्ट में शामिल किए जाने से वंचित किए जाएंगे. उनके सामने आखिर में क्या रास्ता रह जाएगा? जाहिर है अदालत. गृह मंत्रालय के एक आदेश ने (कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है) ने पूरी प्रकिया को कमजोर करने की कोशिश की है. इस आदेश के मुताबिक जो लोग हस्र्ट से बाहर कर दिए गए हैं वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunals) में जाने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं.

आखिकार ये ट्रिब्यूनल हैं क्या?

आम तौर असम में ये Pre Independence Act of 1946 के तहत बनाए गए थे.इनमें पारदर्शिता नहीं है. इनकी संख्या 100 के करीब है. इसलिए सिटिजनशिप ट्रिब्यूनलों में 1955 सिटिजनशिप एक्ट के तहत ही नागरिकता पर सही तरीके से फैसला होना चाहिए, चूंकि असम में नागरिकता के सवाल पर लगातार लोगों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए भ्रम और भय का माहौल बना हुआ है.

(लेखिका इस लेख के इनपुट्स के लिए गुवाहाटी के नंदू घोष, बिजनी और जुमशेर अली की आभारी हैं. लेखिका सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की सेक्रेट्री हैं.)

चिदंबरम की सुनवाई करने वाले को मिला बड़ा पद

नई दिल्ली. केंद्र सरकार पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम याचिका रद्द करने वाले जस्टिस सुनील गौड़ को मनी लॉन्ड्रिंग अपीलीय ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाने जा रही है. सुनील गौड़ ने अपने रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर दी थी. अब उन्हें बड़ा पद मिलने पर सवाल उठ रहे हैं.

सुनील गौड़ पिछले हफ्ते गुरुवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट से रिटायर हुए हैं. केंद्र सरकार ने उनकी रिटायरमेंट के महज कुछ दिनों में ही उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अपीलीय ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया.हालांकि अभी इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. लेकिन ये कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जज सुनील गौड़ की नियुक्ति तय है. एनडीटीवी के मुताबिक सुनील गौड़ मनी लॉन्ड्रिंग अपीलीय ट्रिब्यूनल में 23 सितंबर को मौजूदा अध्यक्ष मनमोहन सिंह की जगह लेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर 20 अगस्त को सुनील गौड़ ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की थी. 22 अगस्त को वो दिल्ली हाईकोर्ट से रिटायर हो गए. 28 अगस्त को खबर आई कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अपीलीय ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया जा रहा है.कांग्रेस केंद्र सरकार और रिटायर्ड जज की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि सुनील गौड़ को पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने का इनाम मिला है.

कांग्रेस के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रीजेश कलप्पा ने ट्वीट कर सुनील गौड़ को बधाई देते हुए कटाक्ष किया. उन्होंने लिखा, 'दुनिया का वो एकलौता जॉब कौन सा है, जिसमें आपको दिए आन्सरशीट को कॉपी-पेस्ट करने पर सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हों?' उनका इशारा जस्टिस सुनील गौड़ के चिदंबरम पर दिए फैसले की तरफ था.जस्टिस सुनील गौड़ के अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के बाद ही पी चिदंबरम को सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी संभव हो पाई थी. कीजिए गर्व.आप किसी को भी जूते मारने लायक हुए हैं.सबरंग

शुक्रवार
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक और मुद्रक
क्षमता सिंह
के लिए दूसरी मॉंजल, बी-146, हरिनगर आश्रम नयी दिल्ली-110014 से प्रकाशित
प्रबन्ध संपादक
अखंड प्रताप सिंह
संपादक
अंबरीश कुमार
(पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार)
सभी कानूनी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।
संपर्क : 91-8840020355, 979377793
ईमेल: shukrawaardelhi@gmail.com
RNI-DELHIN/2015/65658

फिल्म लखनऊ जंक्शन का पोस्टर लखनऊ में बेगमात रायल फैमिली की मुखिया फरहाना मलिकी की अध्यक्षता में जारी हुआ। इस मौके पर हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र पंजाबी थे तो मुख्य कलाकार जमील खान भी मौजूद थे।